

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	लक्ष्मी नागल व्या-वाणिज्य, रा.यशोदा देवी बाउमावि मथानिया-जोधपुर	28.11.2016 02.12.2016 08.12.2017 14.11.2016 से 17.11.2016 16.01.2017 से 18.01.2017 17.02.2017 से 18.02.2017 05.04.2017 03.07.2017 से 04.07.2017 17.11.2017 से 18.11.2017 10.01.2018 से 12.01.2018	20 दिवस
2.	रजनी व्या-वाणिज्य, राउमावि सायला-जालोर	09.01.2017 से 13.01.2017 02.10.2017 से 07.10.2017 04.12.2017 से 09.12.2017 08.01.2018 से 18.01.2018	28 दिवस
3.	रुचिरा बिजारनिया व्या-इतिहास, राबाउमावि धांधेला-पाटन-सीकर	21.06.2016 से 30.06.2016 11.08.2016 से 24.08.2016 01.09.2016 से 07.09.2016 15.09.2016 से 17.09.2016	34 दिवस
4.	योगेन्द्र सिंह व्या-इतिहास, राउमावि लक्ष्मणगढ़-अलवर	12.01.2016 से 25.01.2016 28.01.2016 से 31.01.2016	18 दिवस



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी2 / इति-वाणि / स्थायी. / अ.अवकाश / 18 दिनांक:- 11.05.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक
5. रक्षित प्रत्रावली



11.05.18
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)